पत्रांक–14 / ए0एफ0–19 / 2015 (अंश)
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......... / .... / 2022

विषयः– डॉ0 इंदल सिंह राम जानकी डिग्री महाविद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरो में सत्र 2022–25 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक–B/384 दिनांक–26.02.2022 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित महाविद्यालय के प्रस्तावित विषयों में विश्वविद्यालय को परिनियमानुसार महाविद्यालय के नाम से निर्गत रसीद एवं एकल खण्ड की भूमि की सम्पुष्टि के निदेश के साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या–1098 दिनांक–19.04.1986, पत्रांक–3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक– 25.10.2019 के प्रभाव से राज्य डॉ0 इंदल सिंह राम जानकी डिग्री महाविद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के निम्नवत् विषयों में सत्र 2022–25 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में सहमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	संकाय	विषय
01	कला संकाय (पास व प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, मैथिली, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान व संगीत (कुल 15 विषयों)
02	वाणिज्य संकाय (पास व प्रतिष्ठा)	एकाउन्टेंसी, कार्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इनवायरनमेंट व बिजनेस फाइनांस (कुल 4 विषय)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

S_AF_59

ज्ञापांक :–14/ए0एफ0–19/2015 (अंश) दिनांक........./........../2022

प्रतिलिपिः– माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के निजी सहायक एवं सचिव, डॉ0 इंदल सिंह राम जानकी डिग्री महाविद्यालय, परिहार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :–14/ए0एफ0–18/2019 (अंश) –1188 दिनांक 03/08/2022

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया जाता है।

सरकार के उप सचिव

S_AF_60